-प्रेस नोट-

दिनांकः-24.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 24.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त अहसान उर्फ अलीशान पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित S.C न0 2315/21 मु0अ0स0 352/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर नियत तिथि 07.10.2024 में ग्राम हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अहसान उर्फ अलीशान पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 श्री रणवीर सिंह सिंह थाना सरसावा सहारनपुर

2.का0 2312 राजू थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः 02.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.07.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आरिफ मौहम्मद खान उर्फ मोहित शर्मा पुत्र नामालूम निवासी मोहन नगर जनपद गाजियाबाद द्वारा वादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर नग्न करने, विवाह कर विदेश न जाने पर जान से मारने की धमकी देने, कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर वादिया की अश्लील फोटो/विडियो बनाने और उन फोटो/विडियो को वायरल कर देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 221/2024 धारा 328/354ख/506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त वांछित **अभियुक्त आरिफ सैफी पुत्र यासीन निवासी ग्राम लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ** को रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिफ सैफी पुत्र यासीन निवासी ग्राम लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमकार सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 639 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **24.09.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वतिय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त हेमचन्द पुत्र भागीरथ निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 805/24 व मु0अ0सं0 173/94 धारा 457/380/411 भादवि मे मनोहरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हेमचन्द पुत्र भागीरथ निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त हेमचन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 434/93 धारा 41/109 सीआरपीसी को0 देहात
2. मु0अ0स0 421/96 धारा 302/201 भादवि थाना सदर बाजार सहारपुर
3. मु0अ0स0 145/97 धारा 307 भादवि थाना सदर बाजार।
4. मु0अ0स0 101/04 धारा 3 यू0पी गुण्डा अधिनियम थाना सदर बाजार।
5. मु0अ0स0 415/04 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 416/04 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 587 प्रदीप थाना सदर बाजार सहारनुपर.

-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मांस व कटान के उपकरण बरामद

विवरण बरामदगी-

- **02 गर्दन कटे कटडे,**
- **02 भैंस कटी हुई**
- **05 कुन्तल मांस भैंस का**
- **02 खाल भैंस की कटी-फटी**
- **पशु कटान के उपकरण (01 कुल्हाडी, 05 छुरी, 02 लोहे के नुकीले सरिया, 01 दांव, 10 रस्सी, 01 प्लास्टिक का पाईप, 01 इलेक्ट्रानिक कांटा बडा, 03 ड्रम प्लास्टिक के बडे, 01 ड्रम कटा हुआ प्लास्टिक, 01 लकडी का गुटका व 01 लकडी की पटरी)**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से पशुओं का कटान करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से पशुओं का कटान करने वाले 03 शातिर **अभियुक्तगण 1.शकील पुत्र शाहिद निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2.शाकिब पुत्र फैयाज निवासी मौ0 अबुल माली कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 3.समीर पुत्र रहीस निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द नजपद सहारनपुर** को मौ0 बेरून कोटला कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मांस पशु कटान करने के उपकरण बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 540/24 धारा 271/272/274/275/325 बी0एन0एस0 व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त शाकिब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी गोपाली गांव में मीट की दुकान है। पशु पैंठ से भैस खरीद कर लाते है और शकील के घेर में हम लोग अवैध रूप से पशुओ का कटान करने के लिए दिहाड़ी पर समीर को बुला लेते है। समीर कटान करके चला जाता है और हम लोग मीट अपनी दुकान पर व बाजार में बेच देते है। जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है। जो पैसा मिलता है हम लोगो उसको आपस में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शाकिब पुत्र फैयाज निवासी मौ0 अबुल माली कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

2. शकील पुत्र शाहिद निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. समीर पुत्र रहीस निवासी मौ0 बेरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द नजपद सहारनपुर

अभियुक्त शाकिब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 277/2022 धारा 429 भादवि व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 1960
2. मु0अ0स0 484/2023 धारा 120बी, 269,270,272,273,307,332,34,353,429 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधि0 1960, धारा 4/25/27 आर्मस एक्ट

बरामदगी का विवरण –

- 02 गर्दन कटे कटडे,
- 02 भैंस कटी हुई
- 05 कुन्तल मांस भैंस का
- 02 खाल भैंस की कटी-फटी
- पशु कटान के उपकरण (01 कुल्हाडी, 05 छुरी, 02 लोहे के नुकीले सरिया, 01 दांव, 10 रस्सी, 01 प्लास्टिक का पाईप, 01 इलेक्ट्रानिक कांटा बडा, 03 ड्रम प्लास्टिक के बडे, 01 ड्रम कटा हुआ प्लास्टिक, 01 लकडी का गुटका व 01 लकडी की पटरी आदि सामान बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री राकेश पंवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- है0का0 931 प्रवेन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4- है0का0 645 कमलेश थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5- है0का0 22 विनोद थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6- है0का0 274 रवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
7- का0 1492 कपिल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:24.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चोरी की घटनाओ की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.09.2024 को **अभियुक्त सोहन सिंह उर्फ सोनू पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम तिलफरा ऐनाबाद थाना नानौता जिला सहारनपुर** को नहर पटरी जडौदा पॉण्डा थाना बडगाँव सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 मोटरसाईकिल (स्पेण्डर प्लस) बरामद हुई ।जिसे थाना चण्डीगढ जिला चण्डीगढ से चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन चण्डीगढ पर एफआईआर पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 219/24 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि में कम पढा लिखा हूँ तथा मुझे नशे की लत लग गयी है। छोटा मोटा काम मजदूरी करके नशे का काम नही चल रहा था एक दिन में काम की तलाश में चण्डीगढ गया मौका पाकर मैने इस मोटर साईकिल को चण्डीगढ से चोरी कर लिया था। जिसे बेचकर में रुपयो से अपना नशे का शौक पूरा करता, लेकिन अच्छे पैसे न मिलने के कारण मेंने इसे बेच नही पाया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

सोहन सिंह उर्फ सोनू पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम तिलफरा ऐनाबाद थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटर साईकिल (स्पेलेन्डर प्लस) रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2- कां0 612 दीपक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
3- हो0गा0 2020 अजीत थाना बडगांव जनपद सहारनपुर